भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1020
8 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ

विलंब भुगतान अधिभार नियम

1020. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) नियमों को सख्ती से लागू करने से देश में विद्युत क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता पुन: प्राप्त होगी और उपभोक्ताओं को चौबीसों घंटे विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निवेशक आकर्षित होंगे;

(ख) यदि हां, तो एलपीएस नियमों के कार्यान्वयन से पहले और बाद में राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की कुल बकाया राशि कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता को सुदृढ़ बनाने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : डिस्कॉमों के वित्तीय संकट के प्रमुख संकेतकों में से एक उत्पादन कंपनियों (जेनकोज़) पर विद्युत क्रय की बकाया देयराशियों का बढ़ना है। विद्युत (एलपीएस और संबंधित मामले) नियम, 2022 के कार्यान्वयन से, बकाया देयराशियों की वसूली में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। राज्यों की कुल बकाया देयराशियां जो दिनांक 03.06.2022 को 1,39,947 करोड़ रुपये थीं, दिनांक 31.01.2024 तक अठारह (18) मासिक किस्तों के समय पर भुगतान के बाद कम होकर 49,452 करोड़ रुपये हो गई हैं। इस नियम के अंतर्गत खुली पहुँच के विनियमनों से बचने के लिए वितरण कंपनियां भी अपनी वर्तमान देयराशियों का समय पर भुगतान कर रही हैं।

इस नियम से न केवल यह सुनिश्चित हुआ है कि बकाया देय राशियाँ समाप्त हो गई हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित हुआ है कि वर्तमान देय राशियों का भुगतान समय पर हो। यह देखा गया है कि इस नियम ने डिस्कॉमो में वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे उपभोक्ताओं को 24x7 बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक क्षेत्र में निवेश की सुविधा मिलेगी।

(ग) : भारत सरकार वित्तीय रूप से सुरक्षित, व्यवहार्य और स्थिर विद्युत क्षेत्र (विशेष रूप से वितरण खंड) के उद्देश्य से विभिन्न कार्य निष्पादन से जुड़ी और परिणाम उन्मुख स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। इन पहलों को डिस्कॉमो और राज्य सरकारों में वांछित वित्तीय व्यवस्था लाने के लिए वित्तीय और प्रचालनात्मक मुद्दों से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उठाए गए कदमों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(i) राज्य सरकार द्वारा घोषित सब्सिडी के लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाना।
(ii) यह सुनिश्चित करना कि टैरिफ अद्यतित है।
(iii) समय पर ऊर्जा लेखांकन और ऊर्जा लेखापरीक्षा सुनिश्चित करना।
(iv) यह सुनिश्चित करना कि जेनकोज़ को समय पर भुगतान किया जाए।
(v) संशोधित विवेकपूर्ण मानदंड लागू करते हुए प्रावधान किया गया है कि यदि डिस्कॉम घाटे में है तो राज्य सरकार का कोई भी डिस्कॉम, अथवा जेनको पीएफसी/आरईसी से ऋण प्राप्त नहीं कर पाएगा, जब तक कि डिस्कॉम राज्य सरकार की मंजूरी के साथ हानि में कमी के लिए कोई योजना नहीं बना लेता तथा इसे केंद्र सरकार के पास प्रस्तुत करता है और उस हानि कमी ट्रेजेक्ट्री का पालन करता है।
(vi) यदि डिस्कॉम हानि में कमी के उपाय लागू करता है तो जीडीपी का 0.5% अतिरिक्त उधार लेने का प्रोत्साहन देना।
(vii) डीडीयूजीजेवाई आईपीडीएस और सौभाग्य के अंतर्गत कुल 1.85 लाख करोड़ के निर्माण कार्य निष्पादित किए गए तथा 2,927 नए उप-स्टेशन जोड़े गए, 3,965 मौजूदा सब-स्टेशनों का उन्नयन किया गया, 6,92,200 वितरण ट्रांसफार्मर संस्थापित किए गए, 1,13,938 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) का फीडर पृथक्करण किया गया है एवं 8.35 लाख सीकेएम एचटी और एलटी लाइनें जोड़ी /बदली गई, उच्च हानि वाले क्षेत्रों में कवर किए गए तार प्रदान किए गए हैं, गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन भूमिगत केबलिंग एरियल बंच्ड केबल आदि जैसे कार्य किए गए हैं।
(viii) इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर एवं प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की है। इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है तथा वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि में भारत सरकार से 97,631 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता मिलेगी। अब तक 1.22 लाख करोड़ रुपये के अवसंरचना कार्यो तथा 1.30 लाख करोड़ रुपये के स्मार्ट मीटरिंग कार्यों को स्वीकृति दी जा चुकी है। स्वीकृत अवसंरचना कार्यों में मुख्य रूप से 15.32 लाख सीकेएम नई/उन्नत की जाने वाली एचटी एवं एलटी लाइनें, 4.78 लाख नई/उन्नत किए जाने वाले वितरण ट्रांसफार्मर, 1,110 नए/उन्नत किए जाने वाले सबस्टेशन आदि शामिल हैं। इन कार्यों के कार्यान्वयन से अंततः डिस्कॉम की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार में योगदान मिलेगा जिससे अंतिम उपभोक्ता को लाभ होगा।
(ix) यह प्रावधान करते हुए कि हानि में चल रही डिस्काम भारत सरकार की किसी भी विद्युत क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत निधि निकासी नहीं कर पाएंगी, जब तक कि वे हानि में कमी के लिए उपाय नहीं करती।

****